

(1)

सिविल अपील क्रमांक: 38 / 14

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 38 / 14

संस्थापन दिनांक-25.11.2010

फाइलिंग नंबर-230303000982010

1. रामाधार आयु 27 साल पुत्र जीवाराम
2. राजवीर आयु 20 साल पुत्र जीवाराम
जाति ब्रा0 निवासी ग्राम लोधे की पाली
हाल केशरवाली गली गणेशपुरा मुरैना

-----अपीलार्थी / वादीगण

बनाम

1. श्रीमती शांतिबाई बेवा पत्नी जीवाराम
पुनः विवाह रामनिवास ओझा आयु 54 साल
निवासी गणेशपुरा मुरैना म0प्र0
2. अर्जुन प्रसाद पुत्र विद्याराम आयु 64 साल
निवासी सागौली जिला मुरैना
3. वीरेन्द्रसिंह पुत्र सिरदारसिंह आयु 62 साल
जाति ठाकुर निवासी ग्राम लोधे की पाली
परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
4. जगदीशसिंह आयु 60 साल (फोट)
5. गब्बरसिंह आयु 44 साल पुत्रगण गंभीरसिंह
जाति गुर्जर ठाकुर निवासी कनीपुरा परगना गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0
6. गंगासिंह आयु 54 साल
7. रंजीतसिंह आयु 52 साल
8. प्रहलादसिंह आयु 48 साल
9. राजेन्द्रसिंह आयु 44 साल पुत्र मुकुटसिंह
10. दीपू आयु 12 साल
11. धर्मेन्द्रसिंह आयु 8 साल पुत्रगण दीवानसिंह
उर्फ सुरेन्द्रसिंह नाबा0 सर0 श्रीमती लक्ष्मी पत्नी
दीवानसिंह उर्फ सुरेन्द्रसिंह
12. श्रीमती लक्ष्मी स्व0 पत्नी दीवानसिंह उर्फ सुरेन्द्रसिंह
आयु 30 साल जाति ठाकुर निवासीगण ग्राम चन्दोखर
परगना गोहद
13. रामेश्वरसिंह आयु 47 साल
14. शेरसिंह आयु 44 साल पुत्रगण कृपाराम
15. जगदीशसिंह पुत्र रंधीरसिंह आयु 41 साल
जाति ठाकुर निवासीगण ग्राम जसरथपुरा
परगना गोहद जिला भिण्ड

(2)

सिविल अपील क्रमांक: 38 / 14

16. विश्वंभरसिंह पुत्र रामचरनसिंह आयु 42 साल
जाति लोधे राजपूत
17. अर्जुनसिंह दत्तक पुत्र शंकर सिंह आयु 74 साल
जाति लोधे राजपूत
18. रवीन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह आयु 42 साल
19. रामसेवक आयु 62 साल
20. विश्रामसिंह आयु 58 साल
21. हरेन्द्रसिंह आयु 48 साल पुत्रगण कोकसिंह
जाति लोधे राजपूत समस्त निवासीगण ग्राम
लोधे की पाली परगना गोहद जिला भिण्ड
म0प्र0
22. म0प्र0 राज्य शासन द्वारा:—
श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला भिण्ड म0प्र0

-----प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

अपीलार्थी द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्र0-3, 16, 17, 19, 20, 21 द्वारा श्री जी0एस0 गुर्जर
अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्र0-6 लगायत 12 द्वारा श्री एस0एस0 तोमर अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्र0-4 फोट
प्रत्यर्थी क्र0-13, 14, 15, 18 द्वारा श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्र0-1, 2, 5, 22 पूर्व से एकपक्षीय।

न्यायालय-श्री मनीष शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद, जिला भिण्ड
द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-112ए/2008 ई.दी. में पारित निर्णय
दिनांक 25.10.2010 से उत्पन्न सिविल अपील

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक **09 अप्रैल 2015** को घोषित किया गया)

नोट- प्रकरण में प्रतिवादी क्र0-13 के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः उनमान में कम सुधार किया गया है।

01. अपीलार्थी/वादीगण की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील अंतर्गत धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 1 सी0पी0सी0 के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, गोहद के सिविल वाद क्रमांक 112ए/2008 में प्रदत्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 25.10.2011 से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी /वादीगण के वाद को निरस्त किया गया है ।

02. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि वादी/अपीलार्थीगण के पिता स्व० जीवाराम थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है और माँ प्रत्यर्थी/प्रतिवादी शांतिबाई है जिसने जीवाराम की मृत्यु के बाद रामनिवास ओझा नामक व्यक्ति से पुनः विवाह किया है। तथा यह भी निर्विवादित है कि वादी/अपीलार्थीगण का एक भाई और है जिसका नाम रामसेवक है।

03. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि बंदोवस्त के पूर्व के सर्वे क्रमांक-21 रकवा 899, 23 रकवा 867, 39,40 शामिल रकवा 909,65 रकवा 993, 221,222 शामिल रकवा 293, 829 रकवा 658, 1182 रकवा 878, बंदोवस्त के बाद खसरा क्रमांक-35 रकवा 0.90, 40 रकवा 930, 183 रकवा 30.852 रकवा 65, 66 रकवा 93, 36 रकवा 89, 445 रकवा 1.29 बांके ग्राम लोधे की पाली परगना गोहद में स्थित है जो विवादित है। यह वादीगण की पुष्टतैनी जायदाद है। जो कि उनके पिता जीवाराम के नाम दर्ज थी। जीवाराम की मृत्यु के समय वादीगण नाबालिग थे। तथा उक्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्र०-1 के नाम का नामांतरण हुआ। प्रतिवादी क्र०-1 जो वादीगण की सरपरस्त व माँ थी, ने उनका पालन पोषण नहीं किया और रामनिवास ओझा से पुनर्विवाह करके उन्हें छोड़कर चली गई। तथा बिना न्यायालय की अनुमति के एवं बिना वादीगण के भरण पोषण किये छल कपट व बेईमानीपूर्वक प्रतिवादी क्र०-3 लगायत 19 के हक में भूमि का अंतरण अवैधानिक रूप से किया और विवादित भूमि को खुरद-बुर्द कर दिया। इस प्रकार समस्त किये गये अंतरण वादीगण के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी हैं। तथा उन्हें दस हजार रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से अन्तर्वर्तीय लाभ भी प्रदान किया जावे। जब गांव के लोगों व तहसील कार्यालय से दिनांक 04-05-06 को नकल प्राप्त की तब अवैध अंतरण की जानकारी हुई तब उन्होंने स्वत्वों की घोषणा हेतु एवं कब्जा वापिसी हेतु दावा किया है। उन्होंने वार्षिक लगान के हिसाब से न्यायशुल्क अदा किया है। अतः वादीगण का दावा स्वीकार किया जावे।

04. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-3,14,15,17,18 एवं 19 की ओर से जवाबदावा पेश कर व्यक्त किया कि वर्णित सर्वे नंबरान के संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु शेष तथ्य असत्य बताये हैं। तथा जीवाराम की मृत्यु किस दिनांक को हुई इसका उल्लेख नहीं है तथा उस समय वादीगण/अपीलार्थीगण की उम्र क्या थी यह भी उल्लेख नहीं किया गया है। प्रतिवादी क्र०-1 वादीगण की माँ है जिसने उनका पालन पोषण किया है। तथा विवादितभूमि को हडपने के लिये आपसी दुरभि संधि करके झूठी व बनावटी बातें लिखकर दावा पेश किया है। प्रतिवादी क्र०-1 व 2 से प्रतिवादी क्र०-17,18,19 ने क्रय की तथा सर्वे क्रमांक-1182 के साथ अन्य भूमियों का पूर्ण प्रतिफल देकर दिनांक 25.10.09 को क्रय की गई जो भूमि लक्ष्मणसिंह द्वारा प्रतिवादी क्र०-17,18,19 को बेची गई है। वह भूमि लक्ष्मणसिंह के द्वारा प्रतिवादी क्र०-17 लगायत 19 के पिता कोकसिंह के साथ दिनांक 24.07.87 को जरिये विक्रय पत्र वीरेन्द्र पुत्र सरदारसिंह से क्रय की है। तथा प्रतिवादी क्र०-3 द्वारा प्रतिवादी क्र०-1 शांतिदेवी से भूमि दिनांक 19.09.85 को क्रय की है।

05. प्रतिवादी क्र०-14 व 15 के द्वारा भूमि दिनांक 09.10.86 को वादीगण एवं उनके बड़े भाई रामसेवक व माँ प्रतिवादी क्र०-1 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई। उन्हें रूपयों की आवश्यकता थी एवं नाबालिगों के भरणपोषण के लिये भूमि बेची गई थी। दिनांक 04.05.06 को जानकारी होना गलत लिखा गया है। तथा प्रतिवादी क्र०-1 अपने दूसरे पति के साथ मुरैना में रहती है। तथा कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है न ही दावा चलने योग्य है। वादीगण/अपीलार्थीगण भी नाबालिग न होकर उनकी आयु 28 साल और 30 साल है। वे कोई सहायता पाने के अधिकारी नहीं हैं। विशेष आपत्ति में यह भी व्यक्त किया गया है कि 1985 से नामांतरण को हुए 21 साल हो चुके हैं उससे भी 4-5 वर्ष पूर्व जीवाराम फोटो हुए थे। तथा रामाधार की आयु 23 साल और राजवीर की आयु 16 साल गलत लिखी है। वादी/अपीलार्थीगण के द्वारा पूर्व में जो विक्रय पत्र किये गये थे उसमें अपनी आयु 8 वर्ष व 5 वर्ष लिखाई गई थी। इस प्रकार वादी/अपीलार्थीगण की आयु 29 साल और 26 साल हो जाती है। अतः दावा निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

06. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-6 लगायत 10 ने अपने जवाबदावे में व्यक्त किया है कि उन्हें भी वर्णित रकवे के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु उसे गलत रूप से विवादित बताया गया है। तथा जीवाराम की मृत्यु के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तथा वादीगण की माँ ने ही उनका पालन पोषण किया है। तथा उन्होंने दुरभिसंधि करके यह दावा पेश किया है। तथा उन्होंने गोहद में प्रतिवादी क्र०-2 को संरक्षक बनाकर प्र०क्र०-33/85 अ इदी पर दावा संचालित किया था जो दिनांक 03.07.87 को निरस्त हुआ। तथा शांतिबाई आज भी वादीगण साथ रह रही है। प्रतिवादी क्र०-1 ने शांतिबाई को पूर्ण प्रतिफल देकर दिनांक 25.03.85 को विक्रय पत्र निष्पादित कराया है। शांतिबाई ने तहसील न्यायालय में वादीगण की ओरसे सरपरस्त बनकर नामांतरण के आदेश में भी आपत्ति की थी। जिसके विरोध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी आदेश पारित किया गया था। प्रतिवादी क्र०-1 व 2 आपस में हितबद्ध हैं। तथा प्रतिवादी क्र०-3 उनसे मिले हुए हैं। वादीगण को विक्रय पत्र की पूर्व से जानकारी है। तथा गलत दावा पेश किया है। अतः सव्यय निरस्त किया जावे।

07. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र०-11 लगायत 13 एवं 16 की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि भूमि किसी प्रकार से विवादित नहीं है। तथा पूर्ण प्रतिफल देकर उन्होंने भूमि प्राप्त की है तथा कब्जा प्राप्त किया है। एवं वादीगण की देखरेख व भरणपोषण के लिये जीवाराम ने अपन जीवनकाल में कर्जा लिया था और प्रतिवादी क्र०-1 ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विक्रय की थी तथा मुरैना शहर में मकान क्रय किया। तथा विक्रय पत्र होने की वादी/अपीलार्थीगण को पूरी जानकारी है। तथा गलत तथ्य लिखकर झूठा दावा पेश किया है। तथा न्यायशुल्क कम अदा किया गया है। तथा वादी/अपीलार्थीगण नाबालिग नहीं है तथा समय सीमा निकल जाने के बाद दावा पेश किया है। विशेष आपत्ति में यह भी व्यक्त किया है कि पूर्व में संचालित प्र०क्र०-93/90 इदी वादीगण की अनुपस्थिति में निरस्त हुआ जिसके उपरान्त पुनः सुनवाई में लेकर उसका निराकरण किया जाना चाहिए था। दिनांक

22.08.96 को वादीगण को बालिग हो चुके हैं। तथा असत्य आधार पर द्वितीय वाद पेश किया है जो निरस्त किया जावे।

08. प्रकरण में शेष प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया है।

09. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद प्रश्नों की रचना करते हुये विचारण कर गुणदोषों पर दिनांक 25.10.10 को घोषित निर्णयानुसार वादी/अपीलार्थीगण का वाद स्वीकार योग्य ना पाते हुये निरस्त किया, जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील वादी/अपीलार्थी की ओर से पेश कर यह आधार लिया है कि अपीलार्थी जब नाबालिग थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गयी थी तथा उनकी मृत्यु के बाद से अपीलार्थी/वादीगण का नामांतरण हुआ था इसलिये वे इस भूमि के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी थे लेकिन जब वह नाबालिग थे तब उनकी माँ ने दूसरा विवाह कर लिया और चली गई। तथा उनके हितों के विपरीत बिना उनकी सहमति के उनकी सारी संपत्ति प्रतिवादी क्र०-3 लगायत 22 के हित मते विक्रय कर दी तथा अपीलार्थी/वादीगण द्वारा कब्जा वापिसी हेतु दावा पेश किया गया है जिसकी म्याद 12 वर्ष है। लेकिन इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। तथा नाबालिगान की ओरसे सरपरस्त द्वारा दावा पेश किया गया है जिसके आधार पर आयु का निर्धारण किया है। फिर भी आयु 12 साल के अंदर है। जिसे प्रत्येक साक्षी ने स्वीकार किया है। जिस पर न्यायालय ने गौर नहीं किया है। तथा सही विवेचन नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.10 निरस्त किया जाकर दावा उनके पक्ष में एवं प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

10. उक्त विचाराधीन प्रथम सिविल अपील के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय है :-

- 1— क्या अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है ?
- 2— क्या अपील स्वीकार की जाकर वादी/अपीलार्थीगण का वाद डिक्री किए जाने योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

11. अभिलेख पर उपलब्ध लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए दोनों ही विचारणीय प्रश्नों का निराकरण पुनरावृत्ति न हो इस कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया

गया। विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया। वादी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील ज्ञापन में उठाये गये बिन्दुओं की तरह ही अंतिम तर्क करते हुए यह भी कहा है कि वादी/अपीलार्थीगण अपने पिता जीवाराम की मृत्यु के समय नाबालिग थे और उनकी नाबालिगी में ही उनकी माँ शांतिबाई सरपरस्त बन गई थी जिसने उनकी नाबालिगी के दौरान ही उनके हितों के विपरीत उनके हिस्से की पैतृक भूमि को वगैर किसी उचित आधार के विक्रय कर दिया और दूसरी शादी करके उन्हें असहाय, लावारिश छोड़कर चली गई जिन्हें रिश्तेदारों ने पाला पोषा। जब वे बालिग गये तब उन्हें भूमि बेचने की जानकारी हुई तो उन्होंने स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा और विक्रय पत्रों को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करते हुए दस हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से अन्तर्वर्तीय लाभ की सहायता हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया। जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध निष्कर्ष निकालते हुए निरस्त कर दिया जबकि शांतिबाई ने नाबालिगों की भूमि विक्रय करने के पूर्व सक्षम न्यायालय की कोई अनुमति नहीं ली न ही वादी/अपीलार्थीगण का पालन पोषण किया। और व्यर्थ के विक्रय पत्रों के आधार पर प्रतिवादीगण भूमि का उपयोग कर रहे हैं इसलिये अन्तर्वर्तीय लाभ भी पाने के वे अधिकारी हैं और अपील स्वीकार की जाकर वाद डिकी किया जावे।

12. प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने एक जैसे तर्क करते हुए यह कहा है कि वादी/अपीलार्थीगण एवं प्रतिवादी/प्रत्यर्थी शांतिबाई की आपस में दुरभि संधि है और वे साथ साथ रहते हैं। शांतिबाई ने अपने बच्चों का कोई परित्याग नहीं किया तथा जो वयनामा हुए हैं वह वादीगण के हित में उनके कल्याण के लिये और भरणपोषण की आवश्यकता के आधार पर किये गये जिनकी वादी/अपीलार्थीगण को शुरु से जानकारी है और उन्होंने गलत तथ्यों को अभिवचनों में लेकर केवल अवैध लाभ लेने के लिये झूठा दावा कर दिया है। वादी/अपीलार्थीगण का बड़ा भाई रामसेवक है। सभी शांतिबाई के साथ इकट्ठे मुरैना में रहते हैं और पूर्व में भी दावा किया था जो अदम पैरवी में खारिज करा लिया तथा वादी/अपीलार्थीगण ने जिस तरह से अपनी उम्र बताई है और नाबालिग बताया है वह रिकॉर्ड के विपरीत है। वयनामा सप्रतिफल व कब्जे का आदान-प्रदान करते हुए विधिवत हुए हैं और उन्हें चुनौती देने का वादी/अपीलार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है तथा प्रकरण में जो आधार लिये गये हैं, वे विधि विरुद्ध हैं। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत निष्कर्ष निकालते हुए वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। और अपील भी बे-बुनियाद है। तथा वाद अवधि बाहर भी है। न्यायशुल्क भी कम अदा किया गया है और उचित मूल्यांकन भी नहीं किया गया है। तथा पूर्व न्याय के सिद्धान्त से भी बाधित है। इसलिये अपील सव्यय निरस्त की जावे।

13. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय का अध्ययन किया गया। तथा विचारण में प्रस्तुत की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पर भी चिंतन, मनन किया गया। मूल प्रकरण में वादी/अपीलार्थीगण की ओर से तीन साक्षी जिनमें स्वयं वादी/अपीलार्थी रामाधार वा0सा0-1 के रूप में

पेश हुआ है तथा रामनाथ वा0सा0-2 व अजबसिंह वा0सा0-3 परीक्षित कराये गये हैं। तथा वादीगण के रिश्तेदार हैं। एवं प्रतिवादी क0-6 लगायत 10 अ की ओर से जो साक्षी पेश हुए हैं, उनमें गंगासिंह वा0सा0-1, रमाशंकर वा0सा0-2 के कथन कराये गये हैं। नाहरसिंह का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया था किन्तु वह प्रतिपरीक्षण में उपस्थित नहीं हुआ इसलिये उसका मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र अवलोकन में नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी क0-3, 14, 15, 17 लगायत 19 की ओर से जो साक्षी पेश किये गये हैं उनमें अर्जुनसिंह प्र0सा0-4, शेरसिंह प्र0सा0-5, रामसेवक प्र0सा0-6, वीरेन्द्रसिंह प्र0सा0-7, शेरसिंह पुत्र रामनाथ प्र0सा0-8, सुनील प्र0सा0-9 के कथन कराये गये हैं। तथा प्रतिवादी क0-11 से 13 एवं 16 की ओर से रामेश्वरसिंह, रविन्द्रसिंह, एवं प्रधान अध्यापक रविन्द्र श्रीवास्तव के कथन कराये गये हैं और वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-17 तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्र0डी0-1 लगायत 17 के दस्तावेज पेश हुए हैं। इस तरह से उभयपक्ष की मौखिक व दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य अभिलेख पर है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने होंगे।

14. हालांकि यह सही है कि विधि में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को अपना वाद स्वयं के सामर्थ्य से प्रमाणित करना होता है, वह प्रतिवादी की किसी प्रकार की कमजोरी का लाभ नहीं उठा सकता है। इस संदर्भ में वादी की साक्ष्य का मूल्यांकन करना होगा कि क्या शांतिबाई ने वादीगण की नाबालिगी में उनके हितों के विपरीत पुश्तैनी संपत्ति का अनैतिक रूप से विक्रय बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के कर दिया जिसकी दावा पूर्व वादीगण को कोई जानकारी नहीं हुई और क्या शांतिबाई ने अपने पुत्रों की नाबालिगी में परित्याग भी किया और पुर्नविवाह कर लिया। जीवाराम की मृत्यु कब हुई? यह भी विचार योग्य रहेगा। वादी/अपीलार्थीगण का मूल आधार यही है कि विवादित संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति है और उनके हित हैं और नाबालिगी में सक्षम न्यायालय की अनुमति के वगैर विक्रय नहीं हो सकते हैं। इसलिये जो भी विक्रय हुए हैं वह सभी उनके मुकाबले व्यर्थ व शून्य हैं।

15. सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जाये कि संपत्ति की प्रकृति क्या है तो इस संबंध में वाद पत्र में जो भूमि विवादित बताई गई है, उसके बंदोवस्त के पूर्व बंदोवस्त के पश्चात सर्वे क्रमांक व उनके रकवे के संबंध में कोई विवाद नहीं है। यह भी निर्विवादित है कि जीवाराम की मृत्यु हो चुकी है। अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसमें रामाधार वा0सा0-1 ने यह स्पष्ट रूपसे कथन किया है कि विवादित भूमि करीब 28 बीघा है। जो ग्राम लोधे की पाली में स्थित है और पुश्तैनी है क्योंकि उसके पिता जीवाराम को बाबा शेरसिंह से मिली थी और पिता की मृत्यु होने पर उनका नामांतरण हुआ था जिसमें उनकी माँ शांतिबाई सरपरस्त थी क्योंकि वे नाबालिग थे। प्र0पी0-4 का खसरा भी इस संबंध में पेश किया गया है जो कि पुश्तैनी संपत्ति होने को तो प्रकट करता है। अभिलेख पर विवादित भूमि के वादी/अपीलार्थीगण उनके बड़े भाई रामसेवक और माँ शांतिबाई के मध्य कभी कोई बंटवारा होने का न तो अभिवचन किया है, न साक्ष्य दी है, न ही कोई दस्तावेज है। इससे संपत्ति पैतृक अविभाजित हो जाती है। लेकिन वादी/अपीलार्थीगण का उसमें इसी आधार पर स्वामित्व दावा

प्रस्तुति के समय था या नहीं, यह विश्लेषित करना होगा।

16. वैधानिक स्थिति को देखा जाये तो हिन्दू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा-4 मुताबिक— (क) 'अप्राप्तवय' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी न की हो।

(ख) 'संरक्षक' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी देखरेख में किसी अप्राप्तवय का शरीर या उसकी संपत्ति या उसका शरीर ओर संपत्ति दोनों हों और उसके अंतर्गत आते हैं—

(1) नैसर्गिक संरक्षक, (2) अप्राप्तवय के पिता या माता की बिल द्वारा नियुक्त संरक्षक, (3) न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक, तथा (4) किसी प्रतिपाल्य अधिकरण से संबंध रखने वाली किसी अधिनियमिति के द्वारा या अधीन संरक्षक की हैसियत से कार्य के लिये सशक्त व्यक्ति,

(ग) 'नैसर्गिक संरक्षक' से अभिप्रेत है धारा-6 में वर्णित संरक्षकों में से कोई भी संरक्षक।

17. उक्त अधिनियम की धारा-5 के मुताबिक — **अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव**— इस अधिनियम में अभिव्यक्ततः उपबंधित के सिवाय—

(क) हिन्दू विधि का कोई भी ऐसा शास्त्र-वाक्य, नियम या निर्वचन, या उस विधि की भाग रूप कोई भी रूढ़ि या प्रथा, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में, जिसके लिये इस अधिनियम में उपबंध किया गया है, प्रभावहीन हो जायेगी,

(ख) कोई भी ऐसी अन्य विधि जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त रही हो, वहाँ पर प्रभावहीन हो जायेगी। जहाँ तक वह इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों में से किसी से असंगत हो।

18. उक्त अधिनियम की धारा-6 के मुताबिक—**हिन्दू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक**— हिन्दू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक अप्राप्तवय के शरीर के बारे में और (अभिवक्त कुटुंब की संपत्ति में उसके अविभक्त हित को छोड़कर) उसकी संपत्ति के बारे में भी, निम्नलिखित है—

(क) किसी लड़के या अविवाहिता लड़की की दशा में—पिता और उसके पश्चात माता परन्तु जिस अप्राप्तवय ने पांच वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो तो उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर माता के हाथ में होगी,

(ख) अधर्मज लड़के या अधर्मज अविवाहित लड़की की दशा में— माता और उसके पश्चात पिता,

(ग) विवादित लड़की की दशा में— पति,

परन्तु कोई भी व्यक्ति यदि—

(क) वह हिन्दू नहीं रह गया है, या

(ख) वह वानप्रस्थ या यति या सन्यासी होकर संसार को पूर्णतः ओर अंतिम रूप से त्याग चुका है,

तो इस धारा के उपबंधों के अधीन अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार न होगा।

स्पष्टीकरण — इस धारा में 'पिता' और 'माता' पदों के अंतर्गत सौतेला पिता और सौतेली माता नहीं आते।

19. इसी अधिनियम की धारा-8 के मुताबिक— **नैसर्गिक संरक्षक**

की शक्तियाँ—

(1) इस धारा के उपबंधों के अधीन यह है कि किसी भी हिन्दू अप्राप्तवय का नैसर्गिक संरक्षक उन सब कार्यों को करने की शक्ति रखता है जो उस अप्राप्तवय के फायदे के लिये या उस अप्राप्तवय की संपदा के आपन, संरक्षण या फायदे के लिये आवश्यक या युक्तियुक्त और उचित हो, किन्तु संरक्षक किसी भी दशा में अप्राप्तवय को वैयक्तिक प्रसविदा के द्वारा आबद्ध नहीं कर सकता।

(2) नैसर्गिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना—

(क) न तो अप्राप्तवय की स्थावर संपत्ति के किसी भी भाग को बंधक या भारित अथवा विक्रय, दान या विनिमय द्वारा या अन्यथा अंतरित करेगा, और

(ख) न ऐसी संपत्ति के किसी भी भाग को पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिये या जिस तारीख को अप्राप्तवय प्राप्तवयता में प्रवेश करेगा उस तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये पट्टे पर देगा।

(3) नैसर्गिक संरक्षक द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के उल्लंघन में किया गया स्थावर संपत्ति या कोई भी व्ययन, अप्राप्तवय की या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति की प्रेरणा पर शून्यकरणीय होगा।

(4) कोई भी न्यायालय नैसर्गिक संरक्षक की उपधारा (2) में वर्णित कार्यों में से किसी को भी करने की अनुज्ञा न देगा सिवाय उस दशा में जबकि वह आवश्यक हो या अप्राप्तवय की सुव्यक्त भलाई के लिये हो।

(5) उपधारा (2) के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के आवेदन को और उसके बारे में संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 (1890 का 8) सर्वथा ऐसे लागू होगा मानो वह आवेदन उस अधिनियम की धारा-29 के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिये आवेदन हो, और विशिष्टतः—

(क) आवेदन से संबंधित कार्यवाहियाँ उस अधिनियम के अधीन उसकी धारा-4 क के अर्थ के भीतर कार्यवाहियाँ समझी जावेंगी,

(ख) न्यायालय उस प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और उसे वे शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उस अधिनियम की धारा-31 की उपधाराओं (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट हैं, तथा

(ग) न्यायालय ऐसे आदेश की अपील जो नैसर्गिक संरक्षक को इस धारा की उपधारा(2) में वर्णित कार्यों में से किसी भी कार्य को करने की अनुज्ञा देने से इन्कार करे, उस न्यायालय में होगी, जिसमें उस न्यायालय के विनिश्चयों की अपीलें मामूली तौर पर होती हैं।

(6) इस धारा में 'न्यायालय' से वह निगर सिविल न्यायालय या ऐसा जिला न्यायालय या संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8), की धारा 4 क के अधीन सशक्त ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह स्थावर संपत्ति जिसके बारे में आवेदन किया गया है, स्थित हो, और जहाँ कि स्थावर संपत्ति ऐसे एक से अधिक न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित हो, वहाँ वह न्यायालय अभिप्रेत है, जिसकी स्थानीय सीमाओं की अधिकारिता के भीतर उस संपत्ति का कोई भी प्रभाग स्थित हो।

20. अभिलेख पर आई साक्ष्य में वादी रामाधार वा0सा0-1 ने यह कहा है कि उसकी माँ शांतिबाई उनकातथा उसके भाई का पिता की मृत्यु के बाद

नामांतरण हुआ था जिसमें उनकी माँ शांतिबाई सरपरस्त डाली गई थी। उनकी माँ ने रामनिवास ओझा से पुर्नविवाह किया था और उन्हें छोड़कर चली गई थी। और उनकी देखभाल रिश्तेदारों ने की। किन्तु अभिलेख पर इस संबंध में कोई अभिवचन व साक्ष्य नहीं है कि शांतिबाई ने पुर्नविवाह नामांतरण के पहले किया या बाद में किया। जीवाराम की मृत्यु कब हुई, नामांतरण कब हुआ। हालांकि प्र०पी०-4 मुताबिक जीवाराम के स्थान पर उसके वारिसान का नामांतरण दिनांक 04.01.85 को होना उल्लेखित किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि जीवाराम की मृत्यु उससे पूर्व हुई होगी जिसका अभिलेख पर कोई दस्तावेज नहीं है। क्योंकि बाद में प्र०क०-20/84-85अ-6 आदेश दिनांक 19.07.85 एवं पुनः आदेश दिनांक 11.02.87 अनुसार रामसेवक आदि के स्थान पर कोकसिंह, रंजीतसिंह, प्रहलादसिंह, राजेन्द्रसिंह, दीवानसिंह, पुत्रगण मुकुट सिंह का नामांतरण हुआ था जिससे संबंधित खसरा प्र०पी०-6 भी पेश है।

21. प्रकरण में वादी/अपीलार्थीगण की उम्र भी महत्वपूर्ण बिन्दु है। वाद पत्र मुताबिक रामाधार ने अपनी आयु पहले 23 वर्ष लिखी है, फिर उसे 27 वर्ष और राजीव की उम्र 16 वर्ष वाद प्रस्तुति दिनांक 19.05.06 को अंकित की। जिनमें से रामाधार वा०सा०-1 के रूप में परीक्षित हुआ जिसने मुख्य परीक्षण में शपथपत्र दिनांक 11.11.09 को अपनी उम्र 26 वर्ष अंकित की है। उसके संबंध में वा०सा०-1 का आगे यह कहना रहा है कि माँ द्वारा शादी होने के बाद वह अजबसिंह के साथ जाकर निवास करने लगे थे। अजबसिंह वा०सा०-3 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसका पता गणेशपुरा मुरैना का शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण में स्वयं बताया है और अजबसिंह ने पैरा-2 में यह स्वीकार किया है कि वह 50 साल से गणेशपुरा में ही रह रहा है। ग्राम सिंगरौली में रामाधार उसे कथन देने के करीब चार साल पहले मिला था तब उसे लेकर आया था। इस तरह से यदि अजबसिंह की बात को माना जाये तो रामाधार अजबसिंह के साथ वयस्क होने के बाद गया होगा। ऐसे में रिश्तेदारों द्वारा पालन पोषण का तथ्य विधिसम्मत नहीं रहता है क्योंकि वयस्क होने के पश्चात आत्म निर्भर होना माना जाता है। और पालनपोषण का उत्तरदायित्व अन्य किसी का नहीं रहता है। ऐसे में रिश्तेदारों द्वारा और अजबसिंह द्वारा वादी/अपीलार्थीगण की देखरेख, पालनपोषण का बिन्दु स्थिर नहीं रहता है। और इस संबंध में वा०सा०-1 लगायत 3 की विधिसम्मत होकर स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिये इस बिन्दु पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी विधि विरुद्ध या तथ्य के प्रतिकूल नहीं कही जा सकती है। इस संबंध में अभिलेख पर प्रतिवादीगण की ओर से जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है उनमें प्र०डी०-4 के रूप में रामसेवक का स्कूल का प्रमाण पत्र, प्र०डी०-5 स्कूल की पंजी पेश की गई है जिसमें रामसेवक की जन्म तिथि 27.12.1975 अंकित है जिसका कोई खण्डन नहीं है। स्वयं वादी रामाधार के स्कूल का प्रमाण पत्र प्र०डी०-6, स्कूल की पंजी प्र०डी०-7 अनुसार जन्म तिथि दिनांक 29.06.77 अंकित की गई है जिससे रामाधार स्पष्ट रूप से इन्कार नहीं करता है, अनुभिज्ञता मात्र प्रकट करता है। ऐसे में रामाधार की उम्र के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य जिसका कोई खण्डन नहीं है, वह प्रभाव में रहेगी। और यह निर्धारित होगा कि रामाधार की जन्म दिनांक 29.06.1977 है। इस हिसाब से वाद प्रस्तुति दिनांक 19.05.06 को वादी की उम्र करीब 29 वर्ष होती

है। तथा मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र दिनांक 11.11.09 को उसने दो वर्ष जो बताई है उसको भी देखा जाये तब भी जिस हिसाब से वह स्वयं को नाबालिग कह रहा है, वैसा नाबालिग होना स्थापित नहीं होता है। और राजवीर की उम्र दावे में 16 वर्ष किस आधार पर है, तथा किस आधार पर दोनों के मध्य 11 साल का अंतर है, इस बारे में कोई खुलासा नहीं है। इसलिये वाद प्रस्तुति दिनांक को राजवीर जो कि साक्ष्य में उपस्थित नहीं हुआ, उसकी उम्र के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होती है।

22. अभिलेख पर यह भी स्पष्ट नहीं है कि शांतिबाई ने पुनर्विवाह किस वर्ष में किया और वह अपने बच्चों को किस वर्ष में छोड़कर गई। शांतिबाई भी साक्ष्य में उपस्थित नहीं हुई है जो इन तथ्यों पर प्रकाश डाल सकती थी क्योंकि इन तथ्यों के संबंध में वह सर्वाधिक महत्व की साक्षी थी। और न्याय दृष्टांत **गुल्ला विरुद्ध हरिसिंह 1970 जेएलजे पेज-207** में साक्ष्य विधान की धारा-114 की व्याख्या करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि जिस पक्षकार की जानकारी में जो तथ्य है, उस पर उसी को साक्ष्य देनी चाहिए। यदि वह साक्ष्य नहीं देता है तो उसके विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा की जावेगी।

23. अभिलेख पर इस आशय की भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि शांतिबाई द्वारा जो भूमि बेचना बताया गया है जिसका वयनामा प्र0डी0-3, प्र0डी0-8, प्र0डी0-14 व 17 हैं वे शांतिबाई के विवाह की पूर्व की हैं या पश्चात की हैं, और उस समय वादी/अपीलार्थीगण की उम्र क्या थी? उक्त तथ्य प्रकरण के लिये अत्यंत महत्व के थे जिन पर साक्ष्य का अभाव है। वादी/अपीलार्थीगण के कथानक अनुसार रिश्तेदारों ने उनका भरणपोषण किया, किसने कैसे किया, यह भी स्पष्ट नहीं है।

24. रामाधार वा0सा0-1 ने यह अवश्य कहा है कि उसकी माँ ने पुनर्विवाह 10-12 साल पहले किया था। यह बात उसने दिनांक 08.12.09 को हुए प्रतिपरीक्षा के दौरान कही है। और वह 10-12 साल पहले की विक्रय की बात कहता है जबकि प्र0डी0-17 का विक्रय पत्र जो गंगासिंह आदि को किया गया, वह शांतिबाई वादी/अपीलार्थीगण और उनके बड़े भाई रामसेवक की ओर से दिनांक 25.03.85 को किया गया था। तथा वीरेन्द्रसिंह और अर्जुनसिंह को जो प्र0डी0-14 का वयनामा किया गया है वह भी उनके द्वारा दिनांक 09.10.86 को किया गया तथा वीरेन्द्र को प्र0डी0-9 का वयनामा किया गया। वह दिनांक 19.09.85 को किया गया। और जगदीश व गब्बरसिंह को प्र0डी0-3 का जो वयनामा किया गया है वह दिनांक 31.03.90 को किया गया है। तथा रविन्द्र को जो प्र0डी0-8 का जो वयनामा शांतिबाई और उसके तीनों पुत्रों द्वारा किया गया था वह दिनांक 29.06.90 को किया गया अर्थात् उक्त सभी वयनामे दावा करने के बारह वर्ष से कहीं अधिक पहले हुए हैं और नामांतरण के पश्चात ही वयनामे प्रारंभ हुए। अभिलेख पर इस आशय की भी कोई साक्ष्य नहीं है कि जीवाराम की मृत्यु के पश्चात शांतिबाई को अपने बच्चों के पालन-पोषण के लिये वादग्रस्त भूमि के अलावा और कोई आय का स्रोत था या नहीं। ऐसे में यदि शांतिबाई के द्वारा अपने पुत्रों के पालन-पोषण की आवश्यकता के आधार पर ये विक्रय किये जा रहे हैं। जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति होने से किये

जा रहे हैं। हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा-8 के प्रावधान जिनमें विक्रय या अंतरण के पूर्व सक्षम न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता बताई गई है, वह उपबंध लागू नहीं होगा। जैसा कि प्रस्तुत किये गये न्याय दृष्टांत **सुग्गाबाई विरुद्ध श्रीमती हीरालाल 1969 जे०एल०जे० पेज-227** में मार्गदर्शित करते हुए यह कहा गया है कि यदि अवयस्क के हित की और संयुक्त हिन्दू परिवार की होते हुए अविभाजित हिस्से को विक्रय किया जाता है तो पूर्व अनुमति की आवश्यकता का प्रावधान लागू नहीं होगा। ऐसा ही **गुल्लू विरुद्ध भागचंद 1982 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-68** में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इसी आशय का अभिमत **ए०आई०आर० 1996 सुप्रीमकोर्ट पेज-2371 श्री नारायणबाल एवं अन्य विरुद्ध श्रीधर सुतार एवं अन्य** में भी दिया गया है। जो अवलोकनीय होकर प्रकरण की विषयवस्तु को देखते हुए लागू किये जाने योग्य है।

25. वा०सा०-1 के द्वारा पैरा-10 में यह कहा गया है कि वह बचपन से ग्राम सांगोली में रह रहा है। और करीब चार साल पहले जब उसके भाई की मृत्यु हुई थी उसके बाद उसने ग्राम सांगोली छोड़ा और उसके बाद से अजबसिंह के साथ गणेशपुरा रहने लगा। इस बात को यदि सत्य माना भी जाये तो वह अपने भाई की मृत्यु के समय वयस्क था और अजबसिंह के साथ जब रहने गया तब भी वयस्क था। ऐसे में अन्य व्यक्ति के भरणपोषण को वैधानिक नहीं कहा जा सकता है। इसलिये शांतिबाई पर जो आक्षेप किया गया है वह विधि अनुकूल होकर ग्राह्य योग्य नहीं है। उसके मुताबिक उसकी माँ शांतिबाई मुरैना में रामनगर में रहती है या गणेशपुरा में रहती है, इसकी उसे जानकारी नहीं है जबकि इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है, उसमें यह बताया गया है कि शांतिबाई और उसके लडके सभी एकसाथ रहते हैं और उन्होंने देखा भी है और उनकी साक्ष्य का समर्थन रामनाथ वा०सा०-2 के पैरा-5 से होता है जिसने भी इस बात को स्वीकार किया है कि शांतिबाई गणेशपुरा में मकान बनाकर रहती है और उसके साथ उसके लडके भी रहते हैं। हालांकि बाद में इन्कार भी किया है जो कि शांतिबाई का भान्जा रिश्ते में लगता है, ऐसी स्वीकारोक्ति भी आई है। इससे उत्पन्न विरोधाभास महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि साक्षियों की हितबद्धता है और उनके कथन रिकॉर्ड के प्रतिकूल हैं।

26. जो वयनामा शांतिबाई और उसके पुत्रों जिनमें वादी/अपीलार्थीगण भी शामिल हैं, उनकी ओर से किये गये हैं, उनमें जो उम्र वादी/अपीलार्थीगण की दर्शाई गई है, उससे भी उनकी उम्र बताई गई उम्र से कहीं अधिक होना प्रकट होता है। ऐसे में अभिलेख पर इस संबंध में वादी/अपीलार्थीगण की कोई सुदृढ साक्ष्य नहीं है जो यह प्रमाणित कर सके कि शांतिबाई ने जीवाराम की मृत्यु के बाद वादी/अपीलार्थीगण की नाबालिगी में पुनर्विवाह कर लिया और उनके हिस्से की भूमि अवैध तरीके से विक्रय कर दी और उनका कोई पालन पोषण नहीं किया क्योंकि रामसेवक स्वयं रामाधार को स्कूल में भर्ती कराया, किसने उनकी शिक्षा कराई, इसके संबंध में वे मौन हैं जबकि जो नामांतरण हुआ है वह सन् 1985 में हुआ ।

27. मौखिक साक्ष्य में ऐसा भी बताया गया है कि जीवाराम की मृत्यु नामांतरण होने के करीब 4-5 साल पहले हो गई थी। हालांकि उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर केवल इस साक्ष्य के आधार पर कि शांतिबाई और उसके लडके साथ साथ रहते हैं, उस आधार पर वादी/अपीलार्थीगण और शांतिबाई की दुरभि संधि मानी है जिसे तथ्यों के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि साथ साथ रहने की साक्ष्य न केवल प्रतिवादीगण की है बल्कि वा0सा0-2 की भी स्वीकारोक्ति है और दुरभि संधि का बिन्दु इस बात से भी सुदृढ़ हो जाता है कि पूर्व में प्र0क्र0-53ए/90 का जो दावा वादी/अपीलार्थीगण और उनके बड़े भाई रामसेवक की ओर से अर्जुनसिंह को शामिल करते हुए किया गया था। जो दिनांक 22.08.96 को अदम पैरवी में निरस्त करा लिया गया जिससे संबंधित आदेश पत्रिका प्र0डी0-1 और पूर्व वाद पत्र की प्रति प्र0डी0-2 के रूप में पेश की गई है। उसमें भी वर्तमान दावे की तरह ही सहायताएं चाही गई थीं। इसके अलावा एक वाद और पेश किया गया था जो प्र0क्र0- 33ए/85 के रूप में दर्ज हुआ। और वह भी दिनांक 03.07.87 को खारिज करा लिया गया। जिसमें भी शांतिबाई के तीनों पुत्र वादी थे और अर्जुनसिंह को सरपरस्त बनाते हुए दावा किया गया जिसका वाद पत्र प्र0डी0-16 और खारिजी आदेश पत्रक प्र0डी0-15 के रूप में अभिलेख पर है। इससे प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को बल मिलता है कि वादीगण और शांति बाई दुरभिसंधि के चलते बार बार अनैतिक लाभ के लिये दावा करते रहे हैं और वापिस भी लेते रहे हैं जिससे दुरभि संधि के निष्कर्ष को को समर्थन प्राप्त है। और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष पुष्टि योग्य है।

28. पूर्व वादों में अर्जुनसिंह की सरपरस्ती किस आधार पर बताई है, यह भी स्पष्ट नहीं है जबकि वाद रामाधार वा0सा0-1 के मुताबिक वह अजबसिंह के पास रहा और अजबसिंह सरपरस्त की हैसियत से किसी भी दावे में नहीं है।

29. प्रकरण में समयावधि का भी बिन्दु उत्पन्न किया गया है, प्रतिवादीगण की ओर से इस आशय की भी साक्ष्य दी गई है कि वाद अवधि बाहर है और इस संबंध में प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने विक्रय पत्रों को चुनौती देने के लिये म्याद तीन वर्ष होना व्यक्त की है जबकि वादी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने 12 वर्ष की म्याद जानकारी से होने का तर्क किया गया है। इस संबंध में प्र0डी0-1, व प्र0डी0-2 और प्र0डी0-15 व 16 जो पूर्व वाद से संबंधित दस्तावेज हैं, उनको देखते हुए तथा वाद रामाधार की उम्र को देखते हुए उन्हें विक्रय पत्रों की जानकारी पूर्व से होना परिलक्षित होता है। तथा दोनों वादी/अपीलार्थीगण की वर्ष 1990 में उम्र का आंकलन किया जाये तो रामाधार उस समय 13 वर्ष का और राजवीर 12 वर्ष का था। और जब दिनांक 22.08.96 को प्र0डी0-1 व 2 वाला दावा निरस्त हुआ तब वे क्रमशः 19 व 18 वर्ष के होकर वयस्क हो गये थे। अर्थात् वयस्क होने के करीब 10 वर्ष तक कोई कार्यवाही वादीगण की ओर से नहीं की गई। जो वाद कारण बताया है, उसकी भी पुष्टि नहीं होती है। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 60 मुताबिक जो तीन वर्ष की कालावधि की गणना करने का निर्देश दिया है। उसे भी विधि विरुद्ध

नहीं कहा जा सकता है।

30. पूर्व दावे गुण दोषों पर निराकृत नहीं हुए थे, अदम पैरवी में खारिज हुए थे। इसलिये धारा-11 सीपीसी का उपबंध अवश्य लागू नहीं होगा। और पूर्व न्याय का सिद्धान्त प्रायोज्य नहीं होगा।

31. अभिलेख पर इस आशय की भी कोई साक्ष्य नहीं है कि वयनामा किस प्रकार से वादी/अपीलार्थीगण के हितों के विपरीत हुए हैं। ऐसे में केवल औपचारिक अभिवचन वगैर सुदृढ साक्ष्य के सिद्ध नहीं माने जा सकते हैं और यह सुस्थापित विधि है कि किये गये अभिवचनों पर यदि साक्ष्य नहीं है तो ऐसे अभिवचन प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं और जहाँ साक्ष्य और अभिवचन विरोधाभाषी हों वहाँ उन्हें ग्रहण नहीं किया जा सकता है। पूर्व दावे किस आधार पर अदम पैरवी में खारिज करा लिये गये, उनका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। प्र०डी०-9 के द्वारा जो भूमि वीरेन्द्र को विक्रय की गई थी, उसे वीरेन्द्र द्वारा लक्ष्मण, कोकसिंह को प्र०डी०-10 के वयनामा के द्वारा दिनांक 24.07.87 को और फिर लक्ष्मण सिंह द्वारा रामसेवक, हरप्रसाद को प्र०डी०-11 मुताबिक दिनांक 25.02.90 को बेची गई। तथा कोकसिंह के हिस्से की भूमि उसके लडकों के द्वारा प्र०डी०-12 के विक्रय पत्र द्वारा बेची गई है। प्रतिफल नुमाईशी या प्रतिफल विहीन होने की भी साक्ष्य नहीं है इसलिये भी उन्हें विधि विरुद्ध नहीं माना जा सकता है। अभिलेख पर ऐसी भी साक्ष्य आई है कि मुरैना में शांतिबाई के द्वारा मकान क्रय भी किया गया और बच्चों सहित वह रहती है। और यहाँ अन्य कोई जरिया भी वादीगण द्वारा नहीं बताया गया है इसलिये यदि शांतिबाई द्वारा स्वयं और अपने बच्चों के भरणपोषण जीवनयापन के लिये विक्रय पत्र किये गये तो उन्हें अधिकारविहीन नहीं माना जा सकता है।

32. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वाद प्रश्न क्रमांक-4 के विश्लेषण में वाद का मूल्यांकन लगान के आधार पर न करके विक्रय पत्रों और अन्तर्वर्तीय लाभ की राशि के आधार पर न किये जाने पर चाहे गये अनुतोष के अनुरूप मूल्यांकन कर न्यायशुल्क अदा न किया जाना निष्कर्षित किया है। जो वाद पत्र में अभिवचन किये गये और जो आधार लिये गये हैं, उनके मुताबिक वादी/अपीलार्थीगण ने अपने वैधानिक अधिकारों के तहत हक की मांग करना व्यक्त किया है। ऐसे में विक्रय पत्रों की प्रतिफल राशि को मूल्यांकित करने की उन्हें आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने अवयस्क बताते हुए सहायता चाही। ऐसे में अन्तर्वर्तीय लाभ की राशि के आधार पर भी मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अन्तर्वर्तीय लाभ की सहायता प्रदान की जाती है तो निष्पादन के समय न्याय शुल्क वसूला जा सकता है। इसलिये वाद प्रश्न क्रमांक-4 के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष पुष्टि योग्य नहीं है और वाद का मूल्यांकन व न्याय शुल्क उचित माना जाता है। किन्तु इस आधार पर मूल वाद डिक्री योग्य नहीं है। क्योंकि मूल वाद आधारों को वादी/अपीलार्थीगण विधिक रूप से प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत अपील ज्ञापन मुताबिक लिये गये आधार और उठाये गये बिन्दु स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिये प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील अंतर्गत धारा-96 सीपीसी स्वीकार योग्य न होने से वाद विचार निरस्त की जाती है। और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय व डिक्री की पुष्टि यथावत

की जाती है।

33. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदत्त डिक्री में प्रकरण व्यय और अभिभाषक शुल्क के संबंध में स्पष्ट नहीं किया है जो कि करना चाहिए था। अतः प्रकरण की उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए उभय पक्षकार अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो, जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

दिनांक— **09.04.2015**

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी०सी०आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी०सी०आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड